हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/08/25 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली का गहराई से गम्भीरता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ही पेश नहीं करने के प्रतिवादीगण का जवाब का अधिकार बन्द किया गया है। तथा दोनों पक्षों को साक्ष्य का अधिकार दिये जाने के उपरान्त भी किसी भी पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये मौखिक या भी वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इस प्रकार वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद वादीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय स्वार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर, नुहामाजरा